कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद–गोरखपुर।

पत्रांक–एफएस–फायर आडिट–भवन/निरीक्षण/2023-24 दिनांक–अक्टूबर, 30, 2023

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
जे0पी0 सनराइज स्कूल,
नथमलपुर, गोरखनाथ,
जनपद–गोरखपुर।

विषयः– प्रतिष्ठान/भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का फायर सेफ्टी आडिट किये जाने के सम्बन्ध में:–

अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से जनपद में स्थापित प्रतिष्ठान/भवन में फायर सेफ्टी आडिट किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय व जनपद के उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशो के कम में आपके संस्थान का फायर सेफ्टी आडिट किया गया। वस्तुस्थिति निम्नवत पायी गयीः–

1– पहुँच मार्गः–भवन तक अग्निशमन का कार्य सुगमतापूर्वक सम्पादित किया जा सकता है।
2– पानी की स्थायी टंकी, भूमिगत/उपरी–एनबीसी मानक के अनुसार वांछित है।
3– स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति–वांछित नहीं है।
4– फर्स्ट ऐड होज रील–एनबीसी मानक के अनुसार वांछित है।
5– भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्निशमन–मानक संख्या–2190:1992 के अनुसार मौके पर फायर एक्सटिंग्यूशर उपलब्ध पाये गये।
6– कम्पार्टमेन्टलाइजेशन–वांछित नहीं है।
7– स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति/हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धति–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित है।
8– सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित है।
9– निकास मार्ग के प्रदिप्त सकेंत चिन्ह–भवन में स्थापित है।
10– विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत–जरनेटर सेट उपलब्ध है।
11– फायरमैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित नहीं है।
12– वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम/टेरिस पम्प–एनबीसी मानके के अनुसार वांछित नहीं है।
13– सेटबैक–वांछित है।
14– निकास की आवश्यकतायें एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्था–भवन में मानक के अनुसार उपलब्ध है।
15– फायर ड्रिल–प्रश्नगत प्रतिष्ठान/भवन में समय–समय पर फायर ड्रिल कराया जाना आवश्यक है।
16– अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण–वांछित है।
17– अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिए स्टाफ/प्रशिक्षण–प्रश्नगत भवन में नियुक्त स्टाफ को अग्निशमन यंत्रो को चलाने जाने का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है।
18– निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल–सम्4ı–समय पर वांछित है।
19– सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा–वांछित है।
20– विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीनीकरण–प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना वांछित हैं, तथा उक्त भवन में अग्निशमन व्यवस्थाओं नवीन संशोधित शासनादेश संख्या–18/छः–पु0–8–2023/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक 07.01.2023 में वर्णित अग्निशमन व्यवस्थाओं को पूर्ण करके आन लाइन एन0ओ0सी0 प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिष्ठान/भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष निरीक्षण/परीक्षण कराकर फायर सेफ्टी आडिट कराया जाना आवश्यक है। प्रतिष्ठान/भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थायें अकार्यशील होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी/व्यवस्थापक की होगी।

(डी0के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद–गोरखपुर

(डी0 के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद–गोरखपुर